HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN AT JODHPUR

S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application No. 1941/2026

Hetram S/o Banna Ram, Aged About 25 Years, R/o Nathusar Police Station Panchu, District Bikaner.
(At Present Lodged In District Jail, Phalodi)

----Petitioner

Versus

State of Rajasthan, Through PP

----Respondent

For Petitioner(s) : श्री मनफूल बिश्नोई

For Respondent(s) : श्री नरेन्द्र गहलोत, लोक अभियोजक

HON'BLE MR. JUSTICE ASHUTOSH KUMAR

Order

24/02/2026

प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से अपनी नियमित जमानत हेतु यह जमानत आवेदन पत्र भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 483 के अन्तर्गत **पुलिस थाना बाप, जिला फलौदी** में दर्ज **प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 136/2025** अपराध अन्तर्गत **धारा 305(क), 331(4), 317(2) भारतीय न्याय संहिता** के संबंध में पेश किया गया है।

विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी/अभियुक्त का तर्क रहा है कि प्रार्थी/अभियुक्त को इस मामले में झूठा फंसाया गया है। प्रार्थी/अभियुक्त के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 305(क), 331(4) के दंडनीय अपराध के आरोप में आरोप पत्र पेश किया जा चुका है, उक्त दोनों ही अपराध प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा विचारणीय है। उनका यह भी तर्क है कि मामले के सहअभियुक्तगण प्रदीप कुमार, नितीन जालिदर, दीपक सोनी व मदनलाल को जमानत पर रिहा किया जा चुका है। प्रार्थी/अभियुक्त की जमानत विद्वान विचारण न्यायालय में इस आधार पर खारिज की गई है कि प्रार्थी/अभियुक्त

के खिलाफ अन्य आपराधिक मामले भी दर्ज होना पाया गया है। प्रार्थी/अभियुक्त दिनांक 24.10.2025 को गिरफ्तार किया गया है तब से न्यायिक अभिरक्षा में चल रहा है। इस मामले में आरोप पत्र पेश किया जा चुका है तथा विचारण में समय लगने की संभावना है। अतः उपरोक्त तर्कों के आधार पर प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत का लाभ दिये जाने का निवेदन किया।

विद्वान लोक अभियोजक द्वारा उपरोक्त तर्कों का विरोध किया तथा यक्त किया कि प्रार्थी/अभियुक्त के खिलाफ समान प्रकृति के 12 आपराधिक मामलों में पंजीबद्ध होना पाया गया है, प्रार्थी/अभियुक्त आपराधिक पृष्ठभूमि का व्यक्ति है। अतः प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत पर रिहा नहीं किया जावें।

सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

मामले के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए तथा यह देखते हुए कि प्रार्थी/अभियुक्त के विरुद्ध लगाये गये आरोप प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा विचारणीय है। प्रार्थी/अभियुक्त दिनांक 24.10.2025 से न्यायिक अभिरक्षा में चल रहा है और मामले में आरोप पत्र पेश किया जा चुका है। प्रार्थी/अभियुक्त की अभिरक्षात्मक अवधि, अन्वीक्षा में लगने वाले समय को दृष्टिगत रखते हुए, मामले के गुणावगुण पर कोई टिप्पणी किये बिना हस्तगत मामले में प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत का लाभ दिया जाना उचित प्रतीत होता है।

परिणामतः प्रार्थी/अभियुक्त **हेतराम पुत्र बन्नाराम** की ओर से प्रस्तुत यह जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर आदेश दिया जाता है कि यदि अभियुक्त **प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 136/2025, पुलिस थाना बाप, जिला फलौदी** में विद्वान विचारण न्यायालय के संतोषप्रद उपस्थिति हेतु **1,00,000/– (अक्षरे एक लाख रूपए मात्र)** का एक व्यक्तिगत बन्ध–पत्र तथा **50,000–50,000/– (अक्षरे पचास–पचास हजार रूपए मात्र)** की दो सुदृढ़ एवं विश्वसनीय तस्दीकशुदा प्रतिभूतियां (सत्यापित जमानतदार) प्रस्तुत कर प्रमाणित करा देवे

तथा अभियुक्त की किसी अन्य प्रकरण में आवश्यकता न हो तो हस्तगत प्रकरण में उसे अविलम्ब जमानत पर रिहा कर दिया जावे। प्रार्थी/अभियुक्त को आदेशित किया जाता है कि वह विचारण न्यायालय द्वारा नियत तिथियों पर व जब भी उसे बुलाया जावे, न्यायालय के समक्ष उपस्थित होगा।

(ASHUTOSH KUMAR),J

31-Dhanraj Jajoria /-